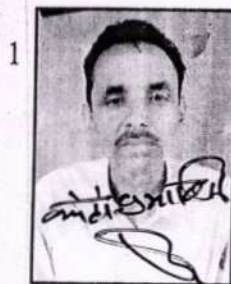
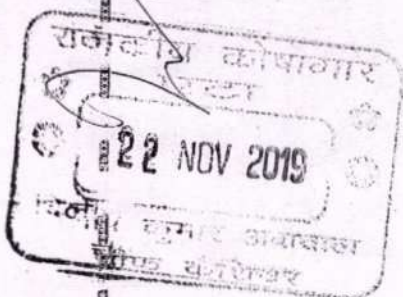




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 126764



ट्रस्ट डीड

यह विलेख आज दिनांक 27.11.2019 को संजय यादव पुत्र श्री नानकचन्द्र निवासी संजय नगर आगरा रोड एटा परगना एटा सकीट तहसील व जिला एटा (मौ0नं0 9412812345) मुख्य ट्रस्टी द्वारा निष्पादित किया गया।

1. ट्रस्ट का नाम- श्री बांके बिहारी एजुकेशनल एण्ड सोशल ट्रस्ट
2. ट्रस्ट का पता - संजय नगर आगरा रोड एटा (उ0प्र0)

शाखा कार्यालय ट्रस्ट की शाखायें देश के अन्य स्थानों पर स्थापित की जा सकती हैं।

3. ट्रस्ट में लगाया गया धन- 10000/- (दस हजार रुपया) नकद धनराशि संजय यादव पुत्र श्री नानकचन्द्र निवासी संजय नगर आगरा रोड एटा परगना एटा सकीट तहसील व जिला एटा

भारतीय न्यास अधिनियम के अनुसार ट्रस्ट एक ऐसा आभार है जो सम्पत्ति के स्वामित्व को आवद्ध होता है जिसे सम्पत्ति का स्वामी स्वीकार करता है अथवा घोषित एवं स्वीकार करता है सम्पत्ति का स्वामी इस प्रकार का आभार अन्य व्यक्तियों के हित अथवा लाभ के लिये स्वीकार करेगा।



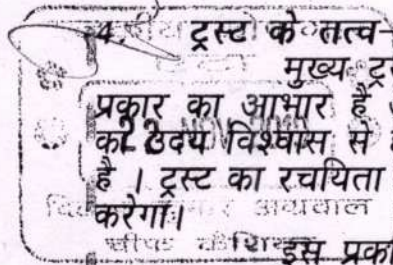
Manager
Mount Litera Zee School
Agra Road, Etah



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FE 026818

2



मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट का गठन निम्न तत्वों पर आधारित है - ट्रस्ट एक प्रकार का आभार है आभार का सम्पत्ति से जुड़ा होना स्वामित्व से आबद्ध होता है। ट्रस्ट का उद्देश्य विश्वास से होता है और प्रत्येक ट्रस्ट के लिये हिताधिकारियों का होना आवश्यक है। ट्रस्ट का रचयिता अपनी सम्पत्ति प्रदान करके सम्पत्ति के स्वामित्व के आभार का आबद्ध करेगा।

इस प्रकार एक ट्रस्ट में आभार ट्रस्ट हितधारी ट्रस्ट सम्पत्ति तथा सम्पत्ति के स्वामी द्वारा विश्वासपूर्वक आभार की अभिव्यक्ति है।

उत्तर प्रदेश उपरोक्त अधिनियम व तत्वों के आधार पर ट्रस्ट के निम्न ट्रस्टी होंगे:-

1. संजय यादव पुत्र श्री नानकचन्द्र निवासी संजय नगर आगरा रोड एटा परगना एटा सकीट तहसील व जिला एटा (मुख्य ट्रस्टी)
2. मनोज कुमार पुत्र श्री नानकचन्द्र निवासी संजय नगर आगरा रोड एटा परगना एटा सकीट तहसील व जिला एटा।
3. योगेश कुमार पुत्र श्री नानकचन्द्र निवासी संजय नगर आगरा रोड एटा परगना एटा सकीट तहसील व जिला एटा।
4. श्रीमती पुष्पादेवी पत्नी स्व० श्री नानकचन्द्र निवासी संजय नगर आगरा रोड एटा परगना एटा सकीट तहसील व जिला एटा।
5. श्रीमती अनुपम यादव पत्नी श्री संजय यादव निवासी संजय नगर आगरा रोड एटा परगना एटा सकीट तहसील व जिला एटा।
6. निशिता सिंह पुत्री श्री रनवीर सिंह निवासी महादेव नगर रोडवेज बस स्टैंड के पास फिरोजाबाद जिला फिरोजाबाद
7. श्रीमती साधना यादव पत्नी श्री शशीकान्त यादव निवासी जलोपुरा रोड अलीनगर केजरा राजा का ताल जिला फिरोजाबाद।



Manager
Mount Litera Zee School
Agra Road, Etah



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FE 026819

3

ट्रस्ट के उद्देश्य-

1. जनता धर्मार्थ अस्पताल जिसमें चिकित्सा सम्बन्धी सभी सुविधायें व सभी कार्य होंगे।
2. 22 N. युवक युवतियों को उच्च तकनीकी एवं रोजगार परख शिक्षा प्रदान करना।
3. समान उद्देश्य वाली संस्थाओं से सहायता प्राप्त करना एवं उनकी सहायता करना।
4. जन कल्याण हेतु जनहित के कार्य करना।
5. जनता में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा शिक्षा का प्रचार प्रसार करना तथा विद्यालयों उच्च शिक्षा संस्थानों डिग्री कॉलेजों इंजीनियरिंग तकनीकी एवं कृषि शिक्षा संस्थानों की स्थापना कम्प्यूटर युक्त आधुनिक शिक्षा पद्धति से करना एवं उनका प्रबन्धन एवं संचालन करना।
6. समय समय पर समाजसेवी जनहितकारी कार्य करना।
7. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वित्तीय संस्थान से अथवा निजी व्यक्तियों जनप्रतिनिधियों से अनुदान, दान अथवा ऋण प्राप्त करना।
8. ट्रस्ट के विकास हेतु निर्धन, अनाथ एवं निर्बल वर्ग नागरिकों बुद्धजनों विधवा अनाथ महिलाओं निराश्रित अनाथ बच्चों अपंग लोगों कल्याण हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार से सम्बन्धित विभागों मंत्रालयों एवं अन्य संस्थानों संगठनों के वित्तीय सहयोग अनुदान ऋण से चलायी जा रही समस्त कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित कर नागरिकों का सर्वांगीण विकास करना।

(Handwritten signature)

Manager
Mount Litera Zee School
Agra Road, Etah



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4

40AA 057494

6. ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण भारत
7. ट्रस्ट के धन सम्बन्धी कार्य- ट्रस्ट में जनसामान्य द्वारा एवं ट्रस्टियों द्वारा दिया गया धन एवं दान आदि की धनराशि ट्रस्ट के द्वारा खोले गये खातों में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जायेगी जो जनहित एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में खर्च की जायेगी। उक्त धनराशि के लिये लेन देन करने के लिये सचिव या मुख्य ट्रस्टी के हस्ताक्षर होंगे।
8. ट्रस्टियों की नियुक्ति- ट्रस्ट में प्रबन्धक / सचिव पद ट्रस्टी के पास आजीवन रहेगा। इनकी मृत्यु के बाद इनके द्वारा नामित तथा उनका उत्तराधिकारी उक्त ट्रस्ट का सचिव होगा। ट्रस्ट के सदस्य सभी सदस्य आजीवन सदस्य होंगे।
9. संचालित संस्थानों की प्रबन्ध समितियों के नामित सदस्य- ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय / महाविद्यालय / अन्य संस्थान जो ट्रस्ट द्वारा संचालित हैं की प्रबन्ध समितियों में ट्रस्टी को प्रबन्धक सचिव पद के लिये किया जायेगा सचिव ही महाविद्यालय / विद्यालय का प्रबन्धक होगा अन्य पदाधिकारियों एवं सदस्यों के लिये ट्रस्टी जिसे उपयुक्त समझे ट्रस्टी सदस्यों में भेज सकता है।

Manager
Mount Litera Zee School
Agra Road, Etah



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

5

40AA 057495

10. **ट्रस्ट प्रमुख:-** ट्रस्ट के अध्यक्ष संजय यादव हैं व ही इस पर जीवन पर्यन्त रहेंगे । आगामी सचिव की नियुक्ति सचिव ही करेगा । यदि किसी कारणवश से नामित नहीं कर पाते हैं तो उनका उत्तराधिकारी ही मुख्य ट्रस्टीकर्ता नियुक्त होगा।
11. **ट्रस्टियों की संख्या:-** ट्रस्टियों की संख्या अध्यक्ष / सचिव को मिलाकर 7 होगी जिसमें वर्तमान में निम्न पदाधिकारी व सदस्य होंगे।
 1. संजय यादव पुत्र श्री नानकचन्द्र निवासी संजय नगर आगरा रोड एटा परगना एटा सकीट तहसील व जिला एटा। (मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष)
 2. मनोज कुमार पुत्र श्री नानकचन्द्र निवासी संजय नगर आगरा रोड एटा परगना एटा सकीट तहसील व जिला एटा। (ट्रस्टी सचिव)
 3. योगेश कुमार पुत्र श्री नानकचन्द्र निवासी संजय नगर आगरा रोड एटा परगना एटा सकीट तहसील व जिला एटा। (ट्रस्टी कोषाध्यक्ष)
 4. श्रीमती पुष्पादेवी पत्नी स्व० श्री नानकचन्द्र निवासी संजय नगर आगरा रोड एटा परगना एटा सकीट तहसील व जिला एटा। (उपसचिव)
 5. श्रीमती अनुपम यादव पत्नी श्री संजय यादव निवासी संजय नगर आगरा रोड एटा परगना एटा सकीट तहसील व जिला एटा। (उपाध्यक्ष)

Manager
Mount Litera Zee School
Agra Road, Etah



उत्तर प्रदेश-UTTAR PRADESH

6

40AA 057496

6. निशिता सिंह पुत्री श्री रनवीर सिंह निवासी महादेव नगर रोडवेज बस स्टैंड के पास फिरोजाबाद जिला फिरोजाबाद
 7. श्रीमती साधना यादव पत्नी श्री शशीकान्त यादव निवासी जलोपुरा रोड अलीनगर केजरा राजा का ताल जिला फिरोजाबाद।
- ट्रस्टीमण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य-**
1. अध्यक्ष - ट्रस्टी मण्डल के अध्यक्ष ट्रस्ट की प्रत्येक सभा में एवं प्रमुख स्थानों पर सभा की अध्यक्षता करेंगे।
 2. प्रबन्धक / सचिव-
 1. ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना तथा उसकी सूचना सदस्यों तक पहुंचाना, मीटिंग कार्यवाही लिखना व प्रतिनिधित्व करना।
 2. ट्रस्ट के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार व प्रसार करना।
 3. ट्रस्ट के हित में दान, चंदा प्राप्त करना तथा उसको संस्था कोष में जमा करना। ट्रस्ट की चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा एवं देखभाल करना।
 4. दान अनुदान चंदा प्राप्त करना व सदस्यों को उनकी रसीद देना। ट्रस्ट के सभी अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना एवं उनका समय समय पर निरीक्षण करना।
 5. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित शिक्षा संस्थानों / कॉलेजों व अन्य इकाईयों में कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति एवं पदच्युत करना, उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना, वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना।
 6. ट्रस्ट के उपरोक्त कार्यकलापों, गतिविधियों एवं अन्य सम्बन्धित विषयों पर ट्रस्टियों में मतभेद होने की स्थिति में अपना अन्तिम निर्णय देना जिसे चुनौती देने का अधिकार किसी ट्रस्टी सदस्य को नहीं होगा।



Manager
Mount Litera Zee School
Agra Road, Etah



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

7. ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाहियों का प्रतिनिधित्व करना।
 8. धर्मार्थ अस्पताल में डाक्टर व नर्स कम्पाउन्डर की भर्ती करना।
 9. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थानों / महाविद्यालय के लिए विशिष्ट सदस्यों की नियुक्ति करना।
 10. संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, ऋण अनुदान पत्रों, चैकों, ड्राफ्टों बन्धक अभिलेखों बिल बाउचर पर हस्ताक्षर करना।
 13. लेखा परीक्षक:-

- ट्रस्ट मण्डल के सचिव के मार्ग दर्शन एवं सहमति से किसी भी ट्रस्टी सदस्य को ट्रस्ट का लेखा परीक्षक नियुक्त किया जा सकेगा। ट्रस्टी प्रमुख के मार्ग दर्शन एवं सहमति से ही ट्रस्ट के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु धन संग्रह व्यय किया जा सकेगा, लेखापरीक्षक ट्रस्ट के सम्पूर्ण आय-व्यय का व हिसाब-किताब का बराबर लेखा-जोखा रखेगा एवं नियमित रूप से कानून अनुसार आडिट आदि करवायेगा संस्था के आय व्यय वही पत्रों की सत्र समाप्ति पर जांच हेतु मुख्य ट्रस्टी के समक्ष प्रस्तुत करना।
1. ट्रस्ट द्वारा विभिन्न संस्थाओं के लिए प्रबन्ध समिति का चुनाव इन्हीं ट्रस्टियों द्वारा किया जायेगा जिसके लिए सचिव / मुख्य ट्रस्टी चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करेगा।
 2. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थानों / महाविद्यालयों की प्रबन्ध समितियों के पदाधिकारियों के अधिकार कर्तव्य निर्धारित प्रशासन योजनाओं के अनुरूप होंगे।
 3. ट्रस्ट द्वारा संचालित महाविद्यालय में निम्न तीन पदाधिकारी होंगे जिसमें सचिव पद मुख्य ट्रस्टी के पास रहेगा तथा शेष पदाधिकारी का चयन ट्रस्टी सदस्यों में से होगा जिन्हें मुख्य ट्रस्टी द्वारा नामित किया जायेगा। पद निम्नवत रहेंगे-



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20

भारत

Rs. 20

TWENTY
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8

40AA 057498

1. अध्यक्ष - एक
2. उपाध्यक्ष - एक
3. सचिव - एक
4. उपसचिव - एक
5. कोषाध्यक्ष/लेखापरीक्षक- एक

उपरोक्त पदाधिकारियों के निम्न अधिकार व कर्तव्य होंगे।

14. कोषाध्यक्ष / लेखा परीक्षक- संस्था के आय व्यय वही पत्रों की समय-समय पर जांच करना व उनका निरीक्षण कर सत्र समाप्ति पर आडिट करना / करवाना आडिट रिपोर्ट निष्पक्ष रूप से सचिव के सम्मुख रखना।
15. ट्रस्टियों में से कोई भी ट्रस्टी का अवसन, मृत्यु या कोई भी नैतिक दोष एवं हैसियत से कार्य करने में असमर्थता की वजह से यदि ट्रस्टी मण्डल द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास कर या 2/3 बहुमत से निर्णय के आधार पर सदस्यता / पद समाप्त हो जाता है तो ऐसे पद / स्थान रिक्त होने पर ट्रस्ट के सचिव को रिक्त स्थान को भरने अथवा नया ट्रस्टी नियुक्त करने का अधिकार होगा।

उपरोक्त ट्रस्ट का गठन साधारण जनता के हितों व लाभों के लिए किया गया है। ट्रस्ट द्वारा मुख्य रूप से शिक्षा संस्थानों / डिग्री कालेजों, चिकित्सा महाविद्यालय, पशु चिकित्सा महाविद्यालय का संचालन किया जाना, बुद्धों, निर्वलों असहायों, विकलांगों परिपक्वता महिलाओं व अनाथ बच्चों की सहायता करना, रोगी आदि के रोग निवारण हेतु तत्परता दिखाना व चिकित्सालय की स्थापना करना व ट्रस्ट सम्पत्तियों व भवनों का जीर्णोद्धार करने, निर्धन कन्याओं के विवाह आदि करवाना व यथा समय निर्धनों को दान आदि देने का कार्य उपरोक्त ट्रस्ट का उद्देश्य होगा।



Manager
Mount Litera Zee School
Agra Road, Etah



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

9

40AA 057499

अध्यक्ष:- 1. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थान प्रत्येक सभा में प्रमुख स्थान पर रहेंगे एवं सभाओं की अध्यक्षता करेंगे।

सचिव:- 2. ट्रस्ट द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना व उनकी सूचना सदस्यों तक पहुंचाना, मीटिंग कार्यवाही लेखन व प्रतिनिधित्व करना।

3. ट्रस्ट द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व प्रचार व प्रसार कराना।

4. ट्रस्ट द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान हित में चंदा प्राप्त करना व उसे संस्था कोष में जमा करना महाविद्यालय की अचल सम्पत्ति की सुरक्षा व देखभाल करना, दान अनुदान चंदा प्राप्त करना व सदस्यों को उसकी रसीद देना।

5. ट्रस्ट द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान के समस्त अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना एवं समय समय पर निरीक्षण कराना।

6. ट्रस्ट द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान व कालेजों में कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति निष्कासन, पदोन्नति एवं पदच्युत करना, उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना।

7. ट्रस्ट द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान के उपरोक्त कार्य-कलापों गतिविधियों एवं सम्बन्धित विषयों पर सदस्यों में मदभेद होने की स्थिति में अपना अन्तिम निर्णय देना जिसे चुनौती का अधिकार किसी सदस्य को न होगा।

8. ट्रस्ट द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान की कार्यकारिणी समिति को आपात स्थिति में देखकर उसे भंग करना एवं कार्यकारिणी समिति के समस्त अधिकार अपने में निहित कर दो माह में नयी कार्यकारिणी समिति का विधिवत निर्वाचन करना।

9. ट्रस्ट द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही का प्रतिनिधित्व करना एवं वादों की पैरवी करना।

10. संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, ऋण अनुदान पत्रों, चैकों ड्राफ्टों बन्धक विलेखों बिल बाउचर पर हस्ताक्षर करना।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

96AD 410692

10

11. ट्रस्ट एवं ट्रस्ट द्वारा संचालित सभी संस्थाओं के बैंक खातों का संचालन केवल मुख्य ट्रस्टी (अध्यक्ष) के हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा।



५

Manager
Mount Litera Zee School
Agra Road, Etah



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

72AE 281524

(11)

- (क) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (ख) विद्यालय की प्रबन्धक समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (ग) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यामिक माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया गया।
- (घ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली/काउंसिल फॉर द इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होगी है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- (ङ) संस्था के शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- (च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (छ) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उसका पालन करेगी।
- (ज) विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है तथा भविष्य में भी हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जायेंगी।
- (झ) विद्यालय का रिकार्ड प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- (त्र) उपर्युक्त क्रम क से झ में कोई परिवर्तन/संशोधन बिना शासन एवं विभाग की अनुमति के नहीं दिया जायेगा।
- (ट) उपर्युक्त क्रम क से ज तक के प्रतिबन्धों को सोसाइटी के बाइलॉज में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।

Manager
Mount Litera Zee School
Agra Road, Etah



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11

89AD 051737

अतः यह ट्रस्ट डीड मुख्य ट्रस्टी द्वारा राजी व खुशी से बिना बहकाये व सिखार्ये व बिना किसी नाजायज दबाव के अपने पूर्ण होश हवाश में परिवारीजनों से सलाह मशविरा करके लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।



गवाह- राकेश कुमार पुत्र श्री नत्थू सिंह निवासी नासिरपुर परगना एटा सकीट तहसील व जिला एटा।
मो० नं० 9761080932 राकेश कुमार

गवाह- विनेश कुमार पुत्र श्री नेम सिंह निवासी गंगनपुर परगना एटा सकीट तहसील व जिला एटा।
मो० नं० 9536157101 विनेश कुमार

तहरीर दिनांक- 27.11.2019
ड्राफ्टकर्ता- राजकमल एडवोकेट राजकमल एडवोकेट
तहसील सदर एटा 27/11/2019
टंकणकर्ता - सतेन्द्र सिंह

Manager
Mount Litera Zee School
Agra Road, Etah

19/11/19
आवेदन सं०-201901008024441

का साग ७४ 437

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 11 के पृष्ठ 11 से 24 तक क्रमांक
83 पर दिनांक 27/11/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

हवलदार सिंह यादव स्टाम्प विक्रेता
तह0 एटा ला0न0-- 217
Cu Code- 140003807

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

आला नकवी प्रभारी उपनिबंधक

उप निबंधक : सदर

एटा

27/11/2019

Manager
Mount Litera Zee School
Agra Road, Etah

